कानून के अमल में आने के बाद हफ्ते में चार दिन काम,तीन दिन होगी छुट्टी

# श्रम संहिता अगले साल लागू होने की उम्मीद

**तैयारी**

**13** प्रमुख राज्यों ने नियमों को तैयार कर लिया

**5** फीसदी से अधिक नहीं होंगे भत्ते कुल वेतन में

नई दिल्ली | एजेंसी

मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम संहिताओं को अगले वित्त वर्ष तक लागू किए जाने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है।

केंद्र ने इन संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। अधिकारी ने कहा कि चार श्रम संहिताओं के अगले वित्त वर्ष तक लागू होने की संभावना है। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में राज्यों ने इनके मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य भी इसे एक साथ लागू करें। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम संहिता के मसौदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम संहिता के मसौदा नियमों को तैयार किया है।

## हाथ में वेतन कम पीएफ ज्यादा मिलेगा

विशेषज्ञों का कहना है कि नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा। इससे एक तरफ कर्मचारियों के पीएफ खाते में हर महीने का योगदान बढ़ जाएगा लेकिन हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा। नई श्रम संहिता में भत्तों को 50% पर सीमित रखा गया है। इससे कर्मचारियों के कुल वेतन का 50%मूल वेतन होगा।

## काम के घंटे बदलेंगे

नई श्रम संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिससे कर्मचारियों से लेकर मिलों और फैक्ट्रियों में काम कर वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। इसके मुताबिक हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी होगी। काम के घंटे आठ की बजाय 12 हो जाएंगे। हालांकि, श्रम मंत्रालय यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। इसमें यह सुविधा भी होगी कि जहां आठ घंटे काम कराया जाएगा वहां एक दिन छुट्टी होगी।